Misc Revenue Appeal No- 06/2014
Madhusudan Ganguly
-Vrs-
The State of Jharkhand & others

Date of order	Order with the Signature of the Court	Office action taken with date
22.12.20	यह अपील भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, धनबाद के न्यायालय के 4(H) वाद संख्या–43/2013–14 (राज्य सरकार बनाम मधुसुदन गांगुली एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक 22.11.2013 के विरूद्ध दाखिल किया गया है। वाद का सार यह है कि बाघमारा अंचल अंतर्गत मौजा–पदुगोडा मौजा नं0–345 खाता सं0–62 प्लॉट सं0–726 एवं 774 रकवा–25डी0 गैराबाद खाते की भूमि की दलील सं0–4278 दिनांक 09.7.2012 द्वारा हस्तांतरण के विरूद्ध झारखण्ड भूमि सुधार अधिनियम की धारा–4(H) के तहत रद्द करने से संबंधित है। सर्वप्रथम विपक्षी को पक्ष रखने हेतु सूचना निर्गत की गयी। अपीलार्थी का कहना है कि निम्न न्यायालय द्वारा साक्ष्य के रूप में दाखिल कागजात की जांच नहीं की गई है। अपीलार्थी द्वारा दलील सं–4278 दिनांक 09.7.2012 के माध्यम से श्री अशोक साव को प्रश्नगत भूमि बिकय किया गया है। श्री चंद्रकांत गांगुली ने श्रीमती अपर्णा गांगुली को दलील संख्या–11242 दिनांक 07.9.1940 द्वारा मौजा–पदुगोडा मौजा नं0–345 खाता सं0–61 एवं 62 अंतर्गत विभिन्न प्लॉट के साथ–साथ प्लॉट नं0–726 एवं 774 कुल रकवा–19.02ए0 भूमि बिकय किया था। उक्त भूमि में से खाता नं0–61 एवं 62, प्लॉट सं0–726, 774 एवं 729 रकवा–5.56ए0 भूमि खतियान अनुसार गैराबाद मालिक दर्ज है। उपरोक्त भूमि के साथ कुल रकवा–26.41ए0 भूमि के विविध वाद सं0–243/1949–50 एवं 'एम'फार्म द्वारा उनके नाम बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा–5, 6 एवं 7 द्वारा लगान निर्धारण किया गया था। उक्त 'एम' फार्म में	

Scanned with CamScanner

खाता संख्या–24 की भूमि भी सम्मिलित है। उक्त के आलोक में जमाबंदी संख्या–45 कायम किया गया है। श्रीमती अपर्णा गांगुली उक्त भूमि पर लगातार दखल में रही है। उनकी मृत्यु उपरांत तीनों पुत्र श्री भुतनाथ गांगुली , गोराचंद गांगुली एवं मधुसुदन मांगुली दखलकार रहें है। श्री गोराचंद गांगुल के प्रश्नगत भूमि रकवा–5.56ए0 पर अतिकमण वाद संख्या–37/64–65 की कार्यवाही की गई जिसमें अंचल अधिकारी, बाघमारा द्वारा प्रश्नगत भूमि पर दखल पाते हुए उनके नाम बंदोबस्त कर दिया गया था। पुनरीक्षित सर्वे में भी प्रश्नगत भूमि रेलवे के नाम दर्ज हो गया था। उक्त के विरूद्ध छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–87 अंतर्गत वाद दाखिल किया गया जिसमें अपीलार्थी के पक्ष में आदेश पारित किया गया है। साथ ही उनका कहना है कि अतिकमण वाद में निहित भूमि रकवा–5.56ए0 है जो निबंधित दलील दिनांक 7.91940 की भूमि रकवा–19.02ए0 से भिन्न है। इस प्रकार निम्न न्यायालय द्वारा उपरोक्त कागजात पर विचार किये बिना दिनांक 09.7.2012 को दलील रद्द करने का आदेश पारित कर दिया गया है। अपीलार्थी द्वारा उपरोक्त के आलोक में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी की ओर से सरकारी अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत भूमि गैराबाद खाते की भूमि है। उक्त भूमि के लिए निर्गत 'एम'फार्म बिहार भूमि सुधार अधिनियम,1950 से पूर्व निर्गत है जो संदेहास्पद है। उपरोक्त के आलोक में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश नियमानुकुल है। अतएव अपील आवेदन अस्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से सरकारी अधिवक्ता को सुना। साथ ही निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। प्रश्नगत भूमि गत सर्वे खतियान

Scanned with CamScanner

अनुसार गैराबाद खाते की भूमि है। अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत भूमि को उनके माता द्वारा दलील संख्या–11242 दिनांक 07.9.1940 के आधार पर कुल–19.04ए0 भूमि प्राप्त करने का दावा किया गया है। उक्त भूमि के लिए निर्गत 'एम' फार्म की छाया प्रति दाखिल की गई है। साथ ही प्रश्नगत भूमि के लिए अतिकमण वाद में दखल के आधार पर बंदोबस्त करने का भी उल्लेख किया गया है। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में न तो उपरोक्त निबंधित दलील की और न ही जमाबंदी कायम होने के आधार की जांच की गई है। साथ ही प्रश्नगत आदेश में निबंधित दलील संख्या–4278 दिनांक 09.07.12 में निहित भूमि रकवा–25डी0 के विरूद्ध बिहार भूमि सुधार अधिनियम की धारा 4(H) के तहत आदेश पारित किया गया है। जबकि मूल जमाबंदी में निहित भूमि के संबंध में किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं की गई है। इस प्रकार संदेहास्पद भूमि की मूल रूप से कायम रहते मात्र अंशिक के विरूद्ध आदेश पारित करना नियम–संगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.11.2013 को निरस्त करते हुए उपरोक्त भूमि संबंधित कागजातों की नियमानुसार जांच कर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आदेश पारित करने हेतु भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, धनबाद को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

22/12/20

समाहर्ता, धनबाद

22/12/20

समाहर्त्ता, धनबाद

Scanned with CamScanner